B.Com. (HONS)
(Pt) - A/cs & Finance (H)
Paper - Ist
(Financial Accounting)
Date - 03.07.2020.

प्रो० रवींद्र कुमार
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
V.S.J. महाविद्यालय राजनगर
(मधुबनी)

| UNIT - II |

TOPIC - HIRE-PURCHASE SYSTEM

किराया क्रय पद्धति

सामान्यतः किराया क्रय पद्धति माल के क्रय-विक्रय की एक विशेष प्रणाली है, जिसके अनुसार क्रेता व विक्रेता के बीच एक ऐसा अनुबंध होता है, कि क्रेता माल की कीमत का भुगतान किस्तों में करता है, तथा माल की प्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु इस पर स्वामित्व विक्रेता का ही रहता है। केवल क्रेता माल का प्रयोग कर सकता है। जब तक क्रेता अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता तब तक क्रेता इसका मालिक नहीं बन सकता है। यदि क्रेता द्वारा सब किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो जितनी किस्त का भुगतान कर दिया जाता है उन्हें माल के प्रयोग के बदले किराया मान लिया जाता है। इसलिए इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति कहा जाता है।

कुछ विद्वानों ने इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया है —

1. डॉ० आर० बाटलीबॉय के अनुसार — "किराया क्रय पद्धति में माल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो माल की कीमत इसके मालिक को सामयिक किस्तों द्वारा भुगतान करने का समझौता करता है। ये किस्तें उस समय तक माल के किराये की तरह मानी जाती हैं जब तक कि सभी किस्तों का भुगतान नहीं कर दिया जाए, और तभी वह माल क्रेता की संपत्ति हो जाती है।"

(iii) प्रो० सी० कॉपर के अनुसार — "किराया क्रय पद्धति अनुबंध की विशेषता यह है कि माल का स्वामित्व विक्रेता पर रहता है, लेकिन क्रेता द्वारा प्रथम किश्त भुगतान के पश्चात उसको प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है. अंतिम किश्त के भुगतान करने के बाद क्रेता माल का कानूनी अधिकारी बन जाता है, तथा विक्रेता का इसमें कोई हित नहीं रहता है."

(iv) थाईर के अनुसार — "किराया क्रय पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें माल की कीमत सामायिक किश्तों द्वारा माल को क्रय करने के उद्देश्य से भुगतान की जाती है. अंतिम किश्त के भुगतान के समय तक प्रत्येक भुगतान को किराया माना जाता है और माल का स्वामित्व क्रेता को तभी मिलता है जबकि क्रेता द्वारा सभी किश्तों का भुगतान कर दिया जाता है."

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि किराया क्रय पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें क्रेता को संपत्ति की प्राप्ति इस शर्त पर होती है कि इसके मूल्य का भुगतान किश्तों के द्वारा किया जायेगा: तथा किश्तों की अवधि में माल का स्वामित्व विक्रेता पर रहता है एवं अंतिम किश्त के भुगतान से पूर्व वाले भुगतान बिल्कुल किराये की तरह माने जाते हैं, और माल का स्वामित्व क्रेता को तब तक नहीं होता है जब तक कि अंतिम किश्त का भुगतान न कर दिया जाए.

— : किराया क्रय पद्धति की विशेषता : —

किराया क्रय पद्धति की विशेषता निम्न लिखित हैं: —

(i) माल की बिक्री उधार होना.

(ii) कीमत का भुगतान समझौते के अनुसार किश्तों में होना.

(iii) माल के प्रयोग का अधिकार प्रथम किश्त भुगतान के पश्चात प्राप्त होना.

(iv) अंतिम किश्त के भुगतान तक माल पर विक्रेता का स्वामित्व होना.

Scanned with CamScanner

(v) अंतिम किश्त के भुगतान के पश्चात स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को होना।

(vi) क्रेता की इच्छा पर माल का क्रय होना।

(vii) अंतिम किश्त के भुगतान तक माल के मरम्मत करने का दायित्व विक्रेता पर होना।

किश्त क्रय पद्धति से क्रेता व विक्रेता को निम्नलिखित लाभ व हानि होती है :—

(A) क्रेता को लाभ :—

(i) मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग क्रेता द्वारा संभव होना।

(ii) मितव्ययिता की भावना उत्पन्न होना।

(iii) भुगतान करने में आसानी होना।

(iv) विक्रेता द्वारा मुफ्त मरम्मत करवाने की सुविधा प्राप्त होना।

(v) ऋण लेने की आवश्यकता न होना

क्रेता को हानि :—

(i) माल की अधिक कीमत चुकाना।

(ii) विक्रेता द्वारा माल वापस ले लेना, यदि किश्त का भुगतान न हुआ तब।

(iii) आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को खरीदने की चाहत में वृद्धि होना।

(iv) वस्तुओं को बेचने का अधिकार न होना। जब तक की अंतिम किश्त का भुगतान न कर दिया जाय। तथा

(v) गिरवी रखने का अधिकार न होना।

Scanned with CamScanner

B. विक्रेता को लाभ :—

- (i) माल की बिक्री में वृद्धि होना।
- (ii) विक्रय की राशि वसूल करने में कठिनाई न होना।
- (iii) ग्राहकों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होना।
- (iv) कम ब्याज पर पूँजी उपलब्ध होना। तथा
- (v) अन्य वस्तुओं की बिक्री होने की संभावना उत्पन्न होना।

विक्रेता को हानि :—

- (i) अधिक पूँजी की आवश्यकता होना।
- (ii) माल के वापस होने में कठिनाई होना।
- (iii) कीमत वसूल करने में कठिनाई होना।
- (iv) लेखा कर्म पर अधिक खर्च होना। तथा
- (v) माल के ह्रास को सहन करना —

Scanned with CamScanner